

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 704]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 सितम्बर 2025 — भाद्र 12, शक 1947

जेल विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 2 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक—एफ 4-76/तीन—जेल/2020.— बंदी अधिनियम, 1900 (1900 का सं. 3) की धारा 31—ड. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ बन्दी छुट्टी नियम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

“4क. बंदियों के वर्ग, जो छुट्टी हेतु पात्र नहीं है,—

- (1) बंदी, जो उनकी सजा के भुगतने के दौरान जेल अपराध में, चेतावनी के दंड से भिन्न किसी अन्य दंड से दंडित किये गये हैं और ऐसा दंड छुट्टी के लिये उसका आवेदन करने के दिनांक से एक वर्ष से पूर्व उस पर अधिरोपित न किया गया हो।
- (2) ऐसा बंदी, जो उसे पूर्व में दी गई छुट्टी के दौरान उसके फरार हो जाने के कारण किसी भी सजा से दण्डित किया गया हो, तो ऐसा बन्दी अपनी सजा की शेष अवधि के दौरान सामान्य छुट्टी के लिये पात्र नहीं होगा।
- (3) ऐसा बंदी, जिसका किसी आपराधिक प्रकरण, जिसमें किसी भी प्रकार की फरारी के मामले सम्मिलित हैं, अभियोजित किया जा रहा है और उस मामले में प्रतिभूति पर उसके निर्मुक्त हो जाने के बावजूद, किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हों।
- (4) ऐसा बंदी, जिसके विरुद्ध विचारणार्थ कोई अन्य मामला लंबित है।

4ख. सामान्य छुट्टी की अवधि.—

कैलेण्डर वर्ष (01 जनवरी से 31 दिसंबर तक) के दौरान बंदी को अधिकतम 42 दिन की छुट्टी की पात्रता होगी। छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी, उस वर्ष में निम्नलिखित रीति में समस्त तीनों भाग की छुट्टी मंजूर कर सकेगा:—

- | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|--------|
| 1. सामान्य छुट्टी भाग—एक | — | माह जनवरी से माह अप्रैल के मध्य | — | 14 दिन |
| 2. सामान्य छुट्टी भाग—दो | — | माह मई से माह अगस्त के मध्य | — | 14 दिन |

3. सामान्य छुट्टी भाग—तीन — माह सितंबर से माह दिसंबर के मध्य — 14 दिन

- टीप— (1) सामान्य छुट्टी के दो निम्नतर भाग स्वीकृत किये जाने के बीच कम से कम तीन माह का अन्तराल रखा जाना अनिवार्य होगा।
- (2) छुट्टी के प्रत्येक भाग की अवधि में घर जाने एवं जेल में वापस आने की यात्रा के समय के रूप में दो अतिरिक्त दिन सम्मिलित होंगे।
- (3) बंदी द्वारा भुगतें गये कुल दण्डादेश की अवधि की गणना करते समय छुट्टी की कालावधि और छुट्टी के प्रत्येक भाग हेतु दो दिनों का यात्रा समय सम्मिलित किया जायेगा।”

2. नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाए, अर्थात्:—

“8. पश्चात्पूर्वी छुट्टी के लिए स्वीकृति प्राधिकारी.—

- (क) जब एक बार बंदी छुट्टी का उपयोग कर लेता है, तो महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं नियम 4 में अधिकथित शर्तों को पूरा करने के बाद नियमानुसार छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम होगा।
- (ख) बंदी द्वारा पश्चात्पूर्वी छुट्टी के लिए निवेदन उसी रीति में किया जायेगा, जिसमें प्रथम छुट्टी के लिए निवेदन किया गया हो।
- (ग) (एक) यदि बंदी के अभिलेखों की परीक्षा करने के पश्चात्, यह प्रकट हो कि बंदी अस्थाई छुट्टी का पात्र है, तो उसका व्यवितगत मुचलका/प्रतिभूति बंधपत्र/सालवेन्सी तथा शपथ पत्र संबंधित तहसीलदार को सत्यापन के लिये भेजा जायेगा/जायेगी तथा उक्त अभिलेख सत्यापन के पश्चात् जेल अधीक्षक को वापस भेजे जाएंगे।
- (दो) जेल अधीक्षक, पश्चात्पूर्वी छुट्टी की दशा में, संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी से उसकी पूर्व छुट्टी के दौरान बंदी द्वारा उसको दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग तो नहीं किया गया है, इस संबंध में जानकारी एकत्र करेगा।
- (तीन) जेल अधीक्षक, उसकी जेल के परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी से बंदी की उस वर्ष की प्रथम छुट्टी पर प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त करेगा तत्पश्चात् मामला महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (चार) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, जेल अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट पर उस वर्ष में बंदी की पात्रता अनुसार सभी तीनों छुट्टीयाँ स्वीकृत कर सकेगा।
- (घ) जेल अधीक्षक से मामला प्राप्त होने पर, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह आवश्यक समझे।
- (ङ) बंदी, जिसकी छुट्टी महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा मंजूर की गई है, को प्ररूप 'ख' में छोड़े जाने का आदेश दिया जाएगा।
- (च) महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा सभी तीनों छुट्टियों का आदेश एक साथ जारी करने की दशा में, दूसरी एवं तीसरी छुट्टी को नियम, शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार माफ कर दिया जायेगा, जैसा विहित किया गया हो।”

3. नियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“9. छुट्टी पर छोड़े जाने की शर्तें.—छुट्टी के लिये बंदी की पात्रता के संबंध में समाधान हो जाने के पश्चात्, समक्ष प्राधिकारी ऐसे बन्दी को निम्नलिखित शर्तों पर छुट्टी पर छोड़ेगा:—

- (1) वह अपनी छुट्टी की कालावधि के दौरान, अपनी छुट्टी के आवेदन में उल्लेखित स्थानों के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर नहीं जायेगा।
- (2) वह अपनी छुट्टी के दौरान न तो किसी भी प्रकार का अपराध करेगा/करेगी और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा/करेगी जिससे लोकहित प्रभावित हो।
- (3) बंदी, छुट्टी मंजूर किए गए स्थान में पहुंचने की सूचना ग्राम की स्थिति में, सरपंच/कोटवार को या नगर की स्थिति में, पार्षद/वार्ड सदस्य को देगा, तथा छुट्टी के दौरान उनके समक्ष प्रतिदिन अपनी उपस्थिति भी देगा।
- (4) सरपंच/कोटवार या पार्षद/वार्ड सदस्य, बंदी द्वारा अपनी उपस्थिति उनके समक्ष नहीं देने की स्थिति में, वे तत्काल इसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने में देंगे।

टीप :- परन्तु यह कि कोई भी बंदी इन नियमों के अधीन प्रदत्त की गई छुट्टी का दावा नहीं कर सकेगा।”

4. नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“11. शर्तों को भंग करने पर बंदी की गिरफ्तारी.—

- (1) यदि कोई बंदी उसकी वापसी के लिये नियत तारीख की शाम तक स्वयं उपस्थित नहीं होता है, तो वह जेल से फरार हुआ बंदी समझा जायेगा/जायेगी तथा उसके विरुद्ध पुलिस स्टेशन में जिसके क्षेत्राधिकार में वह संबंधित जेल स्थित है, (जहाँ बंदी को समर्पण करना था) प्रथम सूचना प्रतिवेदन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा/जायेगी और ऐसे थाने का प्रभारी उस फरार बंदी के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगा। थाने का प्रभारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (क. 46 सन् 2023) की धारा 84 एवं 85 में उल्लिखित कार्रवाई करने हेतु अग्रसर होगा तथा ऐसी कार्यवाही की जानकारी जेल अधीक्षक को उसके द्वारा भेजी जायेगी।
- (2) छुट्टी की कालावधि के दौरान बंदी के फरार होने की स्थिति में, उसके जमानतदार के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
- (3) बंदी के छुट्टी से फरार होने की स्थिति में, जेल अधीक्षक उसके जमानतदार द्वारा दी गई जमानत जप्त करने की कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार के न्यायालय में इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा संपत्ति की कुर्की की आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत वर्मा, उप-सचिव.

मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़
नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक वारंट/टी.आर./ नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक 2025

प्ररूप — “ख”

(नियम 8 का उप नियम (ड.) देखिए)
बंदी अधिनियम, 1900 की धारा 31-क के अधीन

महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं द्वारा बंदी को मंजूर की गई छुट्टी पर छोड़े जाने का आदेश

आदेश

प्रति,

जेल अधीक्षक
.....जेल

यतः, बंदी क्रमांक (बंदी का नाम तथा विवरण) ने, जो वर्तमान में माननीय द्वारा हस्ताक्षरित वारंट दिनांक के अधीन जेल में परिरुद्ध है, अपनी छुट्टी के लिए आवेदन किया है ;

और यतः, मैं, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ छोड़ने वाला प्राधिकारी होने के नाते सम्यक रूप से संतुष्ट हूँ कि लोकहित का उपाय किए बिना आवेदन मंजूर किया जा सकता है ;

अतएव, मैं (नाम) महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, एतद्वारा आपको प्राधिकृत करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप उक्त बंदी को, नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए :-

- (क) सामान्य छुट्टी भाग—एक : माह जनवरी से अप्रैल के मध्य दिन (लगातार)
- (ख) सामान्य छुट्टी भाग—दो : माह मई से अगस्त के मध्य दिन (लगातार)
- (ग) सामान्य छुट्टी भाग—तीन : माह सितम्बर से दिसम्बर के मध्य दिन (लगातार)

कैलेंडर वर्ष में दिनों की कालावधि के लिए बार अभिरक्षा से छुट्टी पर छोड़ दें।
बंदी अपनी छुट्टी की कालावधि के दौरान ग्राम—..... पोस्ट—..... थाना—..... तहसील—..... जिला—..... (छ.ग.) में ही निवास करेगा/करेगी।

सामान्य शर्तें :-

1. प्रत्येक सामान्य छुट्टी के बीच तीन माह का अंतराल आवश्यक होगा।
2. यात्रा के लिए दो दिन की अतिरिक्त अवधि प्राप्त होगी। दो दिन की यह अवधि यात्रा के लिए जेल से प्रस्थान का दिन एवं छुट्टी के बाद जेल में आगमन का दिन होगी।
3. छुट्टी की कालावधि तथा यात्रा अवधि की गणना उसके दंडादेश की कुल कालावधि में सम्मिलित की जाएगी।
4. इस आदेश की प्राप्ति पर, जेल अधीक्षक निम्नलिखित कार्रवाई करेंगे :-
 - (क) प्रतिभू का शपथ-पत्र प्राप्त करेंगे :-
 - (एक) प्रतिभू कोई पूर्ववृत्त अपराधी नहीं होना चाहिए।
 - (दो) प्रतिभू बंदी के परिवार या करीबी रिश्तेदारों से होना चाहिए (यदि परिवार का कोई सदस्य या करीबी रिश्तेदार जमानत लेने में समक्ष नहीं है, तो इस आशय का शपथ पत्र प्रतिभू के रूप में खड़े व्यक्ति से लिया जाना चाहिए)।

- (ख) प्ररूप “घ” में दो प्रतिभूतिओं की जमानतनामा राशि रुपये 50,000/—प्राप्त करेंगे, जो कि संबंधित तहसीलदार से सत्यापित होना चाहिए।
- (ग) एन.डी.पी.एस. एक्ट के दण्डित बंदी के मामले में, साल्वेंसी राशि रुपये 50,000/—प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- (घ) बंदी से प्ररूप “ड.” में व्यक्तिगत मुचलका राशि रुपये 50,000/—प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- (ड.) प्रत्येक मामले में एवं समस्त प्रकरणों में, जमानतदार छत्तीसगढ़ राज्य का होना भी अनिवार्य होगा।

टीप: यदि उपरोक्त शर्तों की पूर्ति नहीं होती है एवं निर्देशे प्रतिकूल है तो, बंदी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।

1. यदि किसी कारण से बंदी को रिहा नहीं किया जा रहा है, तो उसकी सूचना जेल मुख्यालय के आदेश के संदर्भ में भेजी जाएगी।
2. जेल अधीक्षक बंदी रिहाई के संबंध में की गई कार्रवाई के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। जेल अधीक्षक उचित एवं पर्याप्त राशि के प्रमाणित अभिलेख के बिना कैदी को रिहा नहीं होने देंगे। जेल अधीक्षक स्वयं अभिलेख का परीक्षण करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जमानत—नामा एवं मुचलके नियमानुसार उसी प्ररूप में है और सक्षम अधिकारी (तहसीलदार) से सत्यापित हो चुके हैं।
3. बंदी को रिहा करते समय जेल से छोड़ने का प्रमाण—पत्र/आदेश जारी करते समय उसमें उल्लिखित छत्तीसगढ़ बंदी छुट्टी नियम, 1989 के नियम 9 की शर्तें बंदी को बतायी जाएं व उसकी सूचना बंदी के जमानतदार के साथ—साथ संबंधित अधिकारियों को भी दें। यह भी सुनिश्चित करें कि बंदी अपनी छुट्टी की कालावधि के दौरान प्रस्तावित ग्राम/नगर में निवास करेगा/करेगी और वह अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त किए बिना उक्त कालावधि के दौरान किसी भी अन्य स्थान को नहीं जाएगा/जाएगी।
4. जेल अधीक्षक द्वारा सरपंच/कोटवार या पार्षद/वार्ड सदस्य को बंदी की छुट्टी के संबंध में सूचना देते हुए उन्हें बंदी की छुट्टी पर पहुंचने तथा छुट्टी के दौरान प्रतिदिन उपस्थिति को सत्यापित करने हेतु लिखा जाये।
5. उक्त कालावधि की समाप्ति पर बंदी जेल अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होगा/होगी।
6. बंदी, छुट्टी मंजूर किए गए स्थान में पहुंचने की सूचना ग्राम की स्थिति में सरपंच/कोटवार को या नगर की स्थिति में पार्षद/वार्ड सदस्य को देगा, तथा छुट्टी के दौरान उनके समक्ष प्रतिदिन अपनी उपस्थिति भी देगा।
7. यदि बंदी छुट्टी के उपरांत निर्धारित तिथि में जेल प्रवेश नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन में अपराध पंजीबद्ध कराया जायेगा।

टीप : यदि अन्य प्रकरण लंबित हो, चाहे उस प्रकरण में जमानत क्यों न स्वीकार हो गई हो, तो भी नहीं छोड़ा जायेगा।

आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर तथा इस कार्यालय की मुद्रा से दिया गया ।

(हस्ताक्षर)

महानिदेशक
जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं
छत्तीसगढ़

Nava Raipur Atal Nagar, the 2nd September 2025

NOTIFICATION

No. F 4-76/Three-Jail/2020.— In exercise of the powers conferred by Section 31-E of the Prisoners Act, 1900 (No. III of 1900), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Prisoner's Leave Rules, 1989, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After rule 4, the following rule shall be added, namely:-

"4A. Category of prisoners, who are not Eligible for Leave.-

- (1) Prisoners, who have been punished with any punishment for jail offence other than punishment of warning while undergoing their sentences and such punishment has not been imposed upon them one year prior to the date of his application for leave.
- (2) In case of prisoners who have been sentenced to any punishment owing to his escape during his previous leave such prisoners shall not be eligible for general leave, for the rest of his term of sentence.
- (3) Such prisoner who is being prosecuted in any criminal cases of any type of escape and the cases are under trial in the court, in spite of his release on security in that case.
- (4) Such prisoner against whom any other case is pending for trial.

4B. Duration of General Leave.-

During the calendar year (1st of January to 31st December) prisoners shall be eligible for maximum leave of 42 days. The leave sanctioning authority may sanction all the three parts of leave in that year in following manner:-

- (1) General Leave Part-I- between month of January to month of April -14 days
- (2) General Leave Part-II- between month of May to month of August -14 days
- (3) General Leave Part-III- between month of September to month of December - 14 days

- Note-**
- (1) It shall be compulsory to keep an interval of not less than a period of three months between sanction of two successive parts of general leaves.
 - (2) The duration of every part of leave shall include two additional days as journey time to travel to home and back to the prison.
 - (3) The Period of leave and journey time of two days for each part of the leave, shall be included while calculating the duration of the prisoners total sentence undergone."

2. For rule 8, the following rule shall be substituted, namely:-

"8. Sanctioning Authority for Subsequent Leave.—

- (a) Once the prisoner has availed himself of the leave, the Director General, Prisons and Correctional Services shall be competent to sanction leave as per the rules after fulfilling the conditions laid down in the rule 4.
- (b) The request for subsequent leave shall be made by the prisoner in the same manner in which the request for the first leave is made.
- (c) (i) If after the examination of prisoner's records, it is shown that prisoner is eligible for temporary leave, his/her personal bond/surety, bond/solvency and affidavit shall be sent

to concerned Tahsildar for verification and above record shall be sent back to Superintendent after verification.

- (ii) Information regarding whether the prisoner misused his freedom during his/her previous leave, shall be gathered by Jail Superintendent from Station in-charge of the concerned police station in case of subsequent leave.
- (iii) Primary report shall be collected by Jail Superintendent from Probation and Welfare Officer of his jail on the prisoner's first leave of the year thereafter case shall be submitted to Director General of Prisons and Correctional Services.
- (iv) Director General of Prisons and Correctional Services based on the report received from the Jail Superintendent may sanction all the three leaves in that year according to prisoner's eligibility.
- (d) On receipt of the case from the Jail Superintendent, the Director General Prisons and Correctional Services shall pass such orders as he/she may consider necessary.
- (e) Prisoners whose leave has been sanctioned by the Director General Prisons and Correctional Services shall be ordered to be released in Form 'B'.
- (f) In case of the Director General Prisons and Correctional Services issuing order for all three leave together the second and third leave will be waived according to the rule, conditions and procedures as prescribed."

3. For rule 9, the following rule shall be substituted, namely:-

"9. Conditions for Release on Leave.- After satisfaction regarding prisoners eligibility for leave, competent authority shall release such prisoners on leave on the following conditions:-

- (1) During the period of his/ her leave, he/she shall not go to any place other than those places which have been mentioned in his/her leave application.
- (2) During his/her leave he/she shall neither commit any offence nor do any such act which may affect the public interest.
- (3) Prisoner shall inform the Sarpanch/Kotwar in the case of a village or the Councilor/Ward Member in the case of a town upon reaching the place of sanctioned leave and shall also present himself daily before him during the leave.
- (4) Sarpanch/Kotwar or Councilor/Ward Member, in the event of the prisoner not giving their presence before them, will immediately inform it to the nearest Police Station.

Note- Provided that no prisoner can claim leave granted under these rules as a matter of right."

4. For Rule 11, the following rule shall be substituted, namely:-

"11. Arrest of prisoner on breach of conditions.-

- (1) If any prisoner does not present himself on the evening of fixed date of his/her return, he/she shall be treated as absconded prisoners and F.I.R. shall be registered against him at the Police Station in whose jurisdiction concerning jail is situated (where the prisoner was to surrender), and such Police Station in-charge will present a challan against the absconding prisoner in the court. The Police station-in-charge will proceed to take the action mentioned in Section 84 and 85 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (No. 46 of 2023) and information about such action will be sent to the Jail Superintendent by him.
- (2) In the event of escape of the prisoner during the period of leave, a case shall be registered against his/her guarantor at concerned Police Station.
- (3) In the event of escape of the prisoner during leave Jail superintendent shall submit an application before the Court of Tahsildar to take action to forfeiture of his/her security of guarantors, on which Tahsil Court shall take necessary action for attachment of assets."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SHRIKANT VERMA, Deputy Secretary.

HEADQUARTER PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES, CHHATTISGARH
NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

S.No. Warrant/TR/Nava Raipur Atal Nagar,

Date.....

FORM "B"
(See sub-rule (e) of rule 8)
Under Section 31-A of the Prisoners Act. 1900

Order for the prisoner to be released on leave sanctioned by the Director General, Prisons and
Correctional Services

ORDER

To,

Jail Superintendent,
.....Jail.....

Whereas, the prisoner No..... (Name and description of the Prisoner) who is presently confined in the..... Jail under warrant, dated Signed by the Hon'ble, has applied for his/her leave;

And whereas, I am the Director General Prisons and Correctional Services, Chhattisgarh being the released authority duly satisfied that the application may be granted without taking any measure of public interest;

Now therefore, I.....(Name) the Director General, Prisons and Correctional Services, Chhattisgarh, hereby authorize and require you to grant leave to the said prisoner, as under subject to the conditions specified :-

- (A) General Leave Part I : between month of January to April day (Continue)
- (B) General Leave Part II: between month of May to August..... day (Continue)
- (C) General Leave Part III: between month of September to December.....day (Continue)

Leave granted time from the custody for a period of days in a calendar year.

Prisoner will reside in Village..... Post....., Thana....., Tahsil....., District.....(C.G.) during the period of leave.

General conditions:-

1. An interval of three months shall be necessary between each general leave.
2. Additional period of two days will be given for the journey. This two days period shall be the day of his/her departure from prison for travel and arrival in prison after leave.
3. The period of leave and travel period shall be counted in the total period of his/her sentence.
4. On receipt of this order, the Jail Superintendent shall do the following action:-
 - (a) get the surety's affidavit :-
 - (i) Surety should not have any criminal antecedents.
 - (ii) Surety should be from prisoner's family or close relatives (If there is no family member or close relative capable of taking surety, affidavit to this effect should be taken from in person standing as surety)
 - (b) get two sureties in Form 'D' for an amount of Rs 50,000/- each will be obtained, which should be attested by the concerned Tehsildar.
 - (c) in case of a prisoner convicted under NDPS Act ensure to get the solvency amount of Rs 50,000/-.

- (d) ensure that a personal bond of Rs 50,000/- is obtained from the prisoner in Form-‘E’.
- (e) in every case and in all the case, it will also be mandatory for the surety to be from the state of Chhattisgarh.

Note: The prisoner will not be released from jail if the above conditions are not fulfilled and if the instructions are contrary.

5. If the prisoner is not released for any reason, then information will be sent to the jail headquarter with reference of the order.
6. The Jail Superintendent will be fully responsible for the action taken regarding the prisoner's release. The Jail Superintendent will not allow the prisoner to be released without a certified record of proper and sufficient amount. The Jail Superintendent will himself examine the records and ensure that the bail bonds and surety are in the same format as per rules and has been verified by the competent authority (Tahsildar).
7. At the time of releasing the prisoner, while issuing the certificate / order of release from jail, the conditions of Rule 9 mentioned in the Chhattisgarh Prisoner's Leave Rules, 1989 should be conveyed to the prisoner and give its information to the surety of the prisoner as well as to the concerned authorities. Also ensure that the prisoner shall reside in the proposed village/town during the period of his/her leave and that he/she shall not go to any other place during the said period without obtaining prior permission of the undersigned.
8. Jail Superintendent should inform the Sarpanch/Kotwar or Councilor/Ward member about the leave of the prisoner and write to them to verify the prisoner on leave and his presence daily during the leave.
9. On expiry of the said period, the prisoner will appear before the Jail Superintendent.
10. Prisoner shall inform the Sarpanch/Kotwar in case of village or the Councilor/Ward member in case of town upon reaching the place of sanctioned leave and shall also present himself daily before him during the leave.
11. If the prisoner does not enter the jail on the prescribed date after leave, then the crime will be registered immediately in the concerned police station against him as per rules.

Note: If another case is pending, even if bail has been granted in that case, he should not be released.

Today.....(date) given under my signature and the seal of this office.

(Signature)

Director General
Prisons and Correctional Services
Chhattisgarh